

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या : एफपी/यूके/रोड/140350/2021 प्रस्ताव की तिथि: 01अप्रैल 2021

हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि कुल क्षेत्रफल: 20.0849 हेक्टेयर

आवश्यक प्रपत्रों की सूची

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पेज संख्या
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	1
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	2-3
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	4-12
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	13
5.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	14
6.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	15
7.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	16
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	17
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	18
10.	प्रभावित भूमि का लैंड शैड्यूल।	15	19
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	20-23
12.	बार चार्ट।	17	24
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	25
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	26-35
15.	सिविल भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।	19.1	36-37
16.	वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।	19.2	38

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पेज संख्या
17.	नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।	19.3	39–51
18.	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।	20.1	52–56
19.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण—पत्र।	22	57
20.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।	23	58
21.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	24	59
22.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण—पत्र।	25	60–61
23.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	62
24.	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा० उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	63
25.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	64–71
26.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।	30	72–93
27.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	94
28.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले—आउट प्लान	32	95
29.	भू—वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	34	96
30.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण—पत्र।	35	97–98
31.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण—पत्र।	36	99–100
32.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण—पत्र।	37	101
33.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण—पत्र।	38	102
34.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण—पत्र।	39	103
35.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण—पत्र।	40	104
36.	एन.पी.वी. की धनराशि का आंकलन।	42	105

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पेज संख्या
37.	भूमिधर से अनापत्ति प्रमाण पत्र या भूमिधर होने का प्रमाण पत्र	47	106
38.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48	107
39.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यो का प्राक्कलन ।	49.1	108–111
40.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र ।	51	112
41.	प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचन बद्धता प्रमाण पत्र		113–116
42.	भारत का राजपत्र 3(a)		117–119
43.	चैक लिस्ट		120–127
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			